मसूद के कॉलेज की एसआईटी जांच

हाईकोर्ट के आदेश पर डीजीपी ने 3 सदस्यीय दल गठित

- एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में जांच
- दो बार पेश हुई फर्जी सेल डीड

भोपाल,21 अगस्त. मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता के मामले में अब विशेष जांच दल जांच करेगा. हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्देश के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की है.

इस एसआईटी का नेतृत्व एडीजी (टेलीकॉम) संजीव शमी करेंगे. दल में डी. कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज और निमिशा पांडे, एआईजी (प्रशिक्षण) पीएचक्यू भोपाल को सदस्य बनाया गया है. कोर्ट ने कॉलेज की मान्यता से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेजों पर सख्त रुख अपनाते हुए तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे. इसी आदेश के बाद विधायक मसूद पर एफआईआर दर्ज की गई.

अमन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव रहते हुए विधायक आरिफ मसूद ने कॉलेज की मान्यता दिलाने के लिए फर्जी कागज़ात का सहारा लिया. बताया जाता है कि उन्होंने वर्ष 2004 और 2005 में दो बार फर्जी सेल डीड पेश की थी. लंबे समय तक मामला दबा रहा और करीब 20 साल तक जांच लंबित रही. अंततः सब-रजिस्टार परी बाजार, भोपाल की रिपोर्ट में यह फर्जीवाड़ा सामने आया. अब गठित एसआईटी इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करेगी.

> माना जा रहा है कि जांच के दौरान कई पुराने दस्तावेज़ और अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जाएगी. हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा संस्थानों से जुड़ी मान्यता में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उमरिया कलेक्टर के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी

उमरिया. उमरिया जिले के कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर घरेलू सामान बेचने के नाम पर ठगी करने के कोशिश का मामला सामने आते ही कलेक्टर ने साइबर सेल और पुलिस के साथ ही अन्य अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर जैन ने बताया कि फेसबुक पर उनके फोटो के साथ एक फर्जी आईडी बनाकर घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेहद सस्ते दामों में बेचने का झांसा दिया गया है. कलेक्टर ने अपने नाम की इस आईडी को फर्जी फेसबुक आईडी बताया और कहा कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा ठगी करने के लिए ऐसा काम किया गया है. उन्होंने अपील करते हुए फ्रेंड रिक्वेस्ट और वित्तीय लेनदेन करने से बचने का आग्रह किया है.

भाजपा में पिछड़ों के सम्मान से कांग्रेस बोखलाई

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 अगस्त. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा बैतूल जिले के मुलताई से भाजपा के तीसरी बार के विधायक चंद्रशेखर देशमुख को लेकर अमर्यादित शब्द कहने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

खण्डेलवाल ने कहा कि भाजपा द्वारा देश के साथ मप्र में पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे सम्मान से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बौखला गए हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा भाजपा के वरिष्ठ विधायक के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है. जीतू पटवारी ने एक जनप्रतिनिधि नहीं मप्र के समूचे पिछड़े वर्ग का अपमान किया है. राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, किंतु अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना और राजनीतिक मर्यादाओं का हनन है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का अमर्यादित शब्द कांग्रेस पार्टी के गिरते राजनीतिक स्तर को दिखाता है. कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पटवारी द्वारा जिस तरह से पिछड़ा वर्ग का अपमान किया जा रहा है, मप्र की जनता इसका सबक कांग्रेस को जरूर सिखाएगी.

पटवारी के बयान पर अध्यक्ष खंडेलवाल ने दी प्रतिक्रिया

> खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रदेश में अपनी खोई हुई लोकप्रियता और जनाधार से बौखलाकर कभी न्यायपालिका, अधिकारियों तो कभी जनप्रतिनिधियों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं. भाजपा विधायक चंद्रशेखर देशमुख प्रदेश के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं. समूचे बैतूल जिले के सभी समाज वर्ग के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं. विधायक देशमुख अपना पूरा जीवन, दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के साथ समाज के हर वर्ग की सेवा को समर्पित किया है. देशमुख जैसे जनप्रतिनिधि का अपमान कर कांग्रेस मप्र के समूचे पिछड़ा वर्ग समाज को अपमानित कर रही है.

पेज एक का शेष...

15 विधेयक दोनों सदनों से पारित

शुरू हुई थी लेकिन यह विपक्ष के हंगामे के कारण पूरी नहीं हो सकी. इस सत्र में लोकसभा की कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे किंतु व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्नों का ही जवाब दिया जा सका. लोकसभा में मुश्किल से 37 घंटे और राज्यसभा में 41 घंटे और 15 मिनट ही कामकाज हो सका. राज्यसभा में सदस्यों को 285 प्रश्न, 285 शून्यकाल विषय और 285 विशेष उल्लेख उठाने का अवसर था लेकिन केवल 14 प्रश्न, 7 शून्यकाल विषय और 61 विशेष उल्लेख ही वास्तव में लिए जा सके.

आज़ादी के बाद भी ग्रामीण इलाकों की बदहाली

नीमच, 21 अगस्त. आज़ादी के 78 साल बाद भी प्रदेश के कई गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. मनासा से रहटगांव तक महज़ 15 किलोमीटर का रास्ता आदिवासी ग्रामीणों के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं है. वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे इन ग्रामीणों की आवाज़ न तो प्रशासन तक पहुँची और न ही जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता दिखाई.

ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में हालात और भी बिगड़ जाते हैं. बीमार व्यक्ति को समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सकता. खेतों से अनाज और सब्ज़ियां बाज़ार तक लाना भी मुश्किल हो जाता है. प्रदेश सरकार जहां एयर एंबुलेंस और स्मार्ट सिटी जैसे सपने दिखा रही है, वहीं ज़मीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है.

> किसान बदहाल है, युवा बेरोज़गार हैं और गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए अब भी तरस रहे हैं. इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा है. उन्होंने ट्विटर (एक्स) पर लिखा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी गांव सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. भाजपा की डबल इंजन सरकार ने गांवों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है.

विस्थापन प्रभावित जनता 28 को पहुंचेगी एनसीएल मुख्यालय

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 अगस्त। विस्थापित संघर्ष समिति सिंगरौली के संरक्षक अमित कुमार तिवारी ने एनसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के नाम पत्र लिखकर सिंगरौली विस्थापन में बरते जा रहे दोहरे मापदंड के संबंध में अवगत कराया है।

बताया गया है कि विस्थापन से प्रभावित जनता दोहरे मापदंडे के विरोध में 28 अगस्त को एनसीएल मुख्यालय एनसीएल प्रबंधन के मुख से अंतिम निर्णय सुनने को बेताब है। एनसीएल सीएमडी से आग्रह किया है कि जनता के बीच आकर जनमानस के समक्ष अपने अंतिम निर्णय सुनाएँ जनता को पूर्ण विश्वास है कि आप जनता जनार्दन की भावनाओं को समझेंगे तथा उनकी संविधान सम्मत मांगों को पूरा कर कृतार्थ करेंगे। अमित कुमार तिवारी ने बताया है कि दोहरे मापदंड से जनता काफी असंतोष है। पत्र में उल्लेख किया है कि 9 अप्रैल की कलेक्टर कार्यालय की बैठक में शामिल हमारे किसी भी प्रतिनिधि ने आपके शासकीय भूमि-वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई थी। बावजूद इसके आपके द्वारा मिनट्स जारी करवा लेना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है। 22 अप्रैल की बैठक में सिर्फ एक्सग्रेशिया पर सहमति बनी थी। 28 मई को खारिज करने से 5 जून को जयंत खदान उत्पादन बाधित करना पड़ा था। 12 जून की बैठक में सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति के मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। 1 अगस्त को एनसीएल प्रबंधन ने वार्ता करना उचित नहीं समझा गया। इसके पूर्व हुए सारे विस्थापनों में आपने बेचकर समान लाभ दिया था। पर इस बार आप अमीर-गरीब के बीच दोहरा मापदंड अपनाकर संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। या तो आपसे पहले भूल हुई थी या आप अब गलती कर रहे हैं। यदि पहले के विस्थापन में आपके लोगों द्वारा गलती की गई थी तो कितने लोगों को चार्ज शीट हुआ और कितने लोगों से रिकवरी हुई। यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस बार आप इस तरह का गुनाह क्यों कर रहे हैं।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं प्राइवेट विक्रय कर्ताओं के माध्यम से यूरिया खाद का कराया जा रहा है वितरण

उपायुक्त सहकारिता के द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले में वर्तमान खरीफ सीजन में यूरिया खाद का 2500 मैट्रिक टन के 4 रैक बरगवां रैक पाईन्ट पहुंच गये हैं। उन्होंने बताया कि मार्कफेड गोदाम जिलें की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लाईसेन्सधारी प्राइवेट विक्रयकर्ताओं के माध्यम से यूरिया खाद भंडारित कर वितरण कराया गया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के प्रयास से आज दिनांक तक जिले में पूर्व निर्धारित खरीफ सीजन की मांग 8000 मैट्रिक टन के विरूद्ध 8960 मैट्रिक टन यूरिया खाद की आवक हो चुकी हैं। मार्कफेड गोदाम कचनी-बैढ़न एवं जियावन-देवसर एवं लाईसेन्सधारी प्राइवेट विक्रयकर्ताओं के यहां से जिले के किसानों को नगद खाद वितरण किया गया है तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण के आधार पर परमिट पर वितरण किया गया है। आज की स्थिति में मार्कफेड गोदाम में 3285 मैट्रिक टन समितियों से 2350 मैट्रिक टन एवं निजी लाईसेन्सधारी प्राइवेट विक्रयकर्ताओं के द्वारा 2454 मैट्रिक टन वर्तमान खरीफ सीजन में खाद का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी भी जिले के विभिन्न समितियों के पास 312 मैट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध है। विगत 3 दिनों से मार्कफेड गोदाम कचनी में सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये 9000 से अधिक किसानों को यूरिया खाद का नगद वितरण किया गया है। कलेक्टर के प्रयास से इसी सप्ताह यूरिया खाद की 1 और रैक बरगवां रैक पाईन्ट पर संभावित है। रैक प्राप्त होते ही पुन: जिले के मार्कफेड गोदाम, पैक्स समितियों एवं लाईसेन्सधारी प्राइवेट विक्रयकर्ताओं के यहां यूरिया खाद की आपूर्ति करा दी जायेगी।

डाटा प्रविष्टि के लिए जिपं सभागार में आयोजित हुआ प्रशिक्षण

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 अगस्त। जिला पंचायत सिंगरौली के सभाकक्ष में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन जिपं सीईओ गजेंद्र सिंह के अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण अंतर्गत समस्त लाईन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायतों के सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की 9 थीम आधारित दृष्टिकोण पर विस्तृत चर्चा की गई। पीएआई 2.0 पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। सभी विभागों को डीसीएफ डेटा कलेक्शन फॉर्मेट में जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने के लिए तथा पीएआई 2.0 अंतर्गत सभी विभागों से संबंधित इंडिकेटर पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर पीएआई 2.0 पोर्टल में शीघ्र अति शीघ्र डाटा एंट्री करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ द्वारा दिए गए। उक्त प्रशिक्षण में समस्त लाईन विभागों से डाटा प्राप्त करने के उपरांत पोर्टल पर प्रविष्टि ग्राम पंचायत स्तर से की जाएगी, जिससे जिले की पंचायतों द्वारा किए गए विकास कार्यो का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए पीएचई अधिकारी-जबलपुर. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के कार्यपालन यंत्री शरद कुमार सिंह और वरिष्ठ लेखा लिपिक विकास पटेल को आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने 24 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया.

एसके त्रिपाठी ने किया प्रभारी बी इ ओ का पदभार ग्रहण

सिरमौर 21 अगस्त, मध्य प्रदेश बी इ ओ एसके त्रिपाठी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौ के प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा के मार्गदर्शन पर पदभार ग्रहण किये.

श्री तिवारी नें भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के मुख्य महासचिव/सह संपादक/ब्यूरो चीफ बीरेंद्र प्रसाद मिश्र से रूबरू होते हुए बताया की मैं अपनी पूर्ण निष्ठा एवम ईमानदारी के साथ इस पद की गरिमा को बनाये रखते हुए अपने विकास खंड अंतर्गत समस्त कर्मचार्यो एवम कार्यालयों के सभी कार्य शासन के नियमानुसार पूर्ण करूंगा कोई भी कार्य मेरे द्वारा पेंडिंग न रहे ऐसा मेरा पूरा प्रयास होगा उन्होंने कुछ परेशानियो को बताया कि मेरे पास सबसे पहले कार्यालय संचालित करने के लिए भवन की आवश्यकता होगी जो कि यह पुराना भवन संदीपन विद्यालय बनने के कारण गिराए जाएंगे अभी तत्काल ही में मुझे पुस्तक रखवाने के लिए कोई भी कमरा नहीं है जिसे शिक्षा विभाग के उपरोक्त अधिकारियों से निवेदन है कि मेरी व्यवस्था में सहयोग करने का कष्ट करेंगे इस अवसर पर संदीपन विद्यालय सिरमौर के प्राचार्य रजनीश मिश्रा संकुल कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरमौर के प्राचार्य शिव प्रसाद साकेत, दयाशंकर द्विवेदी प्राचार्य प्राणी दिनेश प्रसाद मिश्रा प्राचार्य बदराव गौतमान राजेश तिवारी लेखपाल योगेश पांडे सहायक ग्रेड 3 बी इ ओ सिरमौर अमृतलाल शर्मा जयप्रकाश नारायण द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद साकेत सत्येंद्र सोंधिया नरेंद्र कुमार चौधरी राजेश तिवारी बद्री नारायण तिवारी आदि समस्त लोक उपस्थित रहे.

बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन गुमने की सूचना

प्रार्थिया सावित्री वर्मा पिता श्री पन्नेलाल वर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी-ग्राम / पोस्ट-सोनौरा, तह .रामपुर बाघेलान थाना-रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र. की निवासी होकर सूचित कर रही हूं कि मै दिनांक 21 अगस्त 2025 को अपने ग्राम सोनौरा से बस में सतना आ रही थी और अपने बैग में B.Sc. Nursing का रजिस्ट्रेशन रखी और बस स्टैण्ड सतना में बस से उतरकर प्रतिक्षालय में अपना बैग रखकर पानी पीने लगी, इसके बाद वापस बैग के पास आती हूं तो मेरा बैग खो गया था. लोगों से पूंछतांछ किया तो बैग सहित मेरा B.Sc. Nursing का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला जो कही खो गया है .बहुत खोजने के बाद नहीं मिला. अत: जिस किसी को मिले निम्न पते व मो.नं. पर सूचित करे.

सवित्री वर्मा पिता श्री पन्ने लाल वर्मा, निवासी-ग्राम/ पोस्ट-सोनौरा, तह .रामपुर बाघेलान थाना-रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र. मो.नं.-9754325479

सनरेम सुधार सूचना

मै साधना मिश्रा पति श्री कृष्णचंद्र मिश्रा उम्र 41 वर्ष निवासी धवारी गली नं.5 पूनम भवन के पीछे तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. की होकर बहलफ सूचित कर रही हूं कि विवाह के पूर्व मेरा नाम साधना तिवारी था, मेरा विवाह श्री कृष्णचंद्र मिश्रा से हुआ है अत: अब मेरा नाम साधना मिश्रा हो गया है अत: अब मुझे साधना मिश्रा पति श्री कृष्णचंद्र मिश्रा के नाम से जाना पहचाना एवं सम्बोधित किया जाए.

नाम सुधार सूचना

मै बंदना सिंह परिहार पति श्री विकास सिंह परिहार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आकौना साठिया पो.धौरहरा तह.नागौद जिला सतना म.प्र. की होकर बहलफ सूचित कर रही हूं कि मैने दिनांक 28.08.2014 को एलआईसी की 2 पालिसी ले रखी है जिसका नं. क्रमश: 357927361,357927362 है जिसमें मेरा नाम करूणा सिंह दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड व बैंक खाता एसबीआई शाखा नागौद में खाता सं.36180028591 में मेरा नाम बंदना सिंह परिहार दर्ज है. अत: बंदना सिंह परिहार और करूणा सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के यानी मेरे ही है.

CHANGE OF NAME

I Rita Bharitee Sharma W/o Anupam Gautam Resident of Rajendra Nagar Gali No.8 Satna M.P. Here by State that my earlier name Rita Gautam is to be Replaced by my Correct name Rita Bharitee Sharma in my son's School Record. In this regard I have my affidavit dated 21 August 2025

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम AMARJIT KAUR W/O BALWINDAR SINGH SAINI था, जो कि मेरे पास पोर्ट में दर्ज है। परन्तु अब मेरा नाम बदलकर AMARJEET KAUR W/O BALWINDAR SINGH SAINI हो गया है। जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है। अत: भविष्य में मुझे नए नाम AMARJEET KAUR W/O BALWINDAR SINGH SAINI से जाना एवं पहचाना जाये तथा मेरे सभी अभिलेखो में उल्लेख किया जाये। जो सही एवं सत्य हैं।

पता- AMARJEET KAUR MQ-y{z, NCL COLONY AMLOHRI PROJECT SINGRAULI, Distt. SINGRAULI (M.P)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

रा0प्र0क0-0640/अपील/2024-25

पेशी दिनाक 10.09.2025

1. रोशनलाल सिंह, 2. ओमराज सिंह 3. यसवंत सिंह तीनों के पिता श्री श्रीनिवास सिंह सभी निवासी ग्राम झण्ड तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0...

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अखण्ड प्रसाद कुशवाहा 2. बाबूलाल कुशवाहा, 3. कामता कुशवाहा, 4. रामप्रकाश कुशवाहा, 5. पुष्पेन्द्र कुशवाहा सभी के पिता भगवानदीन कुशवाहा, 6. रामनरेश कुशवाहा पिता गैवी कुशवाहा, 7. बुध्दी 8. चिन्तामणि, 9. रामसजीवन 10. रामराज, 11. रामकरण पिता शिव प्रसाद कुशवाहा, सभी निवासी ग्राम कुंद तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0, 12. राजकिशोर कुशवाहा - 13. विजय कुशवाहा पिता बुध्दा काछी, 14. मु0 रज्जन बाई कुशवाहा पत्नी बुध्दा कुशवाहा सा. कूंद हाल मुकाम कटहा तहसील अमरपाटन जिला मैहर म0प्र0, 15. म0प्र0 शासन. .... **रेस्पा.गण**

प्रकाशनार्थ

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 के रा0प्र0क्र0-0094/अ-74/2022-23 पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 के विरूध्द आंशिक अपील प्रस्तुत की गई है। कई बार सम्मन करने के बाद भी आप प्रेषितीगण सम्मन लेने से आना कानी कर रहे हैं अत: जरिये प्रकाशन आप प्रेषितीगण को आगाह किया जाता है कि नियत पेशी दिनांक 10.09.2025 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपसंज्ञात होकर अपना पक्ष समर्थन करें, यदि आप प्रेषितीगण उक्त नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण को निराकृत किया जायेगा।

आज तारीख 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल रीवा (म0प्र0)

भवन हस्तानान्तरण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि चिरहुला कालोनी सी-सेक्टर रीवा स्थित भवन क्र. एच.आई.जी. जूनियर-07 श्री प्रमेन्द्र सिंह पिता श्री त्रिभुवन सिंह, निवासी- भवन क्र. एच.आई.जी. जूनियर- 07 चिरहुला कालोनी सी-सेक्टर जिला रीवा (म.प्र.) के नाम आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भवन क्र. एच.आई.जी. जूनियर- 07 चिरहुला कालोनी सी-सेक्टर रीवा का हस्तान्तरण श्री सिद्धार्थ सिंह बघेल पिता श्री धीरेन्द्र सिंह बघेल, निवासी- एल.आई.जी. भवन क्र. 164 चिरहुला कालोनी रीवा, जिला रीवा (म0प्र0) के नाम करने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 19.08.2025 को ऑनलाईन आवेदन पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं।

अत: उक्त के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था को आपत्ति हो अथवा उक्त भवन को मूल आवंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को रहन दान, विक्रय आदि किया गया हो तो समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित आपत्ति प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने के बाद कोई आपत्ति अथवा दावा स्वीकार नहीं होगा एवं भवन का हस्तान्तरण श्री सिद्धार्थ सिंह बघेल पिता श्री धीरेन्द्र सिंह बघेल के नाम पर कर दिया जावेगा।

(दीपेश रत्नाकर)
सम्पदा प्रबंधक
म0प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल रीवा (म0प्र0)

कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

(नवीन कलेक्ट्रेट भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक 24, Email:alcsingroli@gmail.com

प्रेस-विज्ञप्ति

श्रम विभाग जिला सिंगरौली को शासकीय कार्य के संचालन हेतु मासिक किराए पर चार पहिया वाहन की औवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति 26.08.2025 तक अपनी सीलबंद निविदा सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, नवीन कलेक्ट्रेट भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक 24 सिंगरौली में अपरान्ह 02.00 बजे तक जमा करा सकते हैं। निविदा हेतु शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

सहायक श्रमायुक्त,
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

केन्द्रीय विद्यालय सी.डब्ल्यू.एस. जयन्त कोलयरी जिला सिंगरौली (म.प्र.) 486890

Kendriya Vidyalaya CWS Jayant Colliery,
Distt.-Singrauli (M.P.) 486890
Phone No. 07805-298306
Website:https://jayantcolliery.kvs.ac.in/ Email: jayantcollierykv@gmail.com

KVS Station Code:304 KVS School Code: 1567 CBSE School No.:54126 CBSE Affiliation No.: 1000043

F. Contractual/KV CWS Jayant/2025-26/ Date: 21.08.2025

साक्षात्कार/Walk-In-Interview

केन्द्रीय विद्यालय सी.डबल्यू.एस, जयंत मे शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु पूर्णत: अंशकालिक अनुबंध आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल बनाने हेतु Walk-in-interview दिनांक 03/09/25 को प्रात: 9.00 बजे निम्नानुसार आयोजित किया जा रहा है

क्र.	पद नाम	विषय	साक्षात्कार की तिथि एवं दिन	योग्यता
01	स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT Physics)	भौतिक विज्ञान	03/09/2025 (बुधवार)	विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय वेबसाइट / Website https://jayantcolliery.kvs.ac.in एवं विद्यालय सूचना पटल देखें।
02	अन्य पद	स्पेशल एजुकेटर, संगीत / नृत्य अनुदेशक		

नोट:- 01. साक्षात्कार/Walk-in-interview में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे आवश्यक अर्हता धारित हो। अपात्र अभ्यर्थियो को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा।
02. साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को प्रात: 8.30 बजे अपने समस्त प्रमाण पत्रों/शैक्षिक योग्यताओं की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल प्रमाण पत्रों एवं पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ विद्यालय में उपस्थित हों।
03.साक्षात्कार एवं नियुक्ति से संबन्धित जानकारी एवं अनिवार्य योग्यता मापदंड विद्यालय वेबसाइट https://jayantcolliery.kvs.ac.in के What's New मे उपलब्ध है।
04. उपरोक्त पदों हेतु आवश्यक योग्यता की विस्तृत जानकारी हेतु https://jayantcolliery.kvs.ac.in और https://kvsangathan.nic.in देखे ।

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय सी डबल्यू एस, जयंत

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

प्रकरण कमांक 7/2025 डब्लू सी वि0

सुनीता देवी पासवान व अन्य

- बनाम-

मुख्य परियोजना निर्देशक रेल व अन्य

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0 सोनू कुमार असिस्टेंट फिटर एस.के.एस.इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि.में कार्य के दौरान दिनांक 18.01.19 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता द्वारा रु 1409835 /- मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।

उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को नियत की गई है।

अत: जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।

मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।

यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.08.25 को जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

अभिषेक कुमार त्रिपाठी
आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

प्रकरण कमांक 7/2025 डब्लू सी वि0

राम प्रसाद यादव व अन्य

- बनाम-

कृष्ण देव सिंह व अन्य

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0 शिवेन्द्र सिंह यादव उर्फ शिवानंद यादव कुशल श्रमिक का कृष्ण देव सिंह के कार्य के दौरान दिनांक 16.06.16 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता द्वारा रु 1872423 /- मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।

उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को नियत की गई है।

अत: जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।

मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।

यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.08.25 को जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

अभिषेक कुमार त्रिपाठी
आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

प्रकरण कमांक 7/2025 डब्लू सी वि0

शिव कुमार व अन्य

- बनाम-

पी.सी.स्नेहल कास्ट्रेक्शन व अन्य

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0 मुनेश तिवारी उर्फ मनीष (फुकलैण्ड मशीन चालक) पिता शिवकुमार के कार्य के दौरान दिनांक 22.02.25 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता द्वारा रु 1477950 /- मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।

उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 25.09.2025 को नियत की गई है।

अत: जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 25.09.2025 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।

मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।

यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19.08.25 को जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

अभिषेक कुमार त्रिपाठी
आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

प्रकरण कमांक 15/2025 डब्लू सी वि0

कलावती सिंह व अन्य

- बनाम-

रामभान सिंह व अन्य

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0 अमित सिंह चालक का रामभान सिंह के वाहन में कार्य के दौरान दिनांक 09.05.18 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता द्वारा रु1039234 /- मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।

उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को नियत की गई है।

अत: जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 26.09.2025 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।

मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।

यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.08.25 को जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

अभिषेक कुमार त्रिपाठी
आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

प्रकरण कमांक 29/2025 डब्लू सी वि0

प्रियंका देवी व अन्य

- बनाम-

दीपक लाजिस्टिक व अन्य

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व0 कमलेश कुमार साहू चालक का दीपक लाजिस्टिक में चालक में कार्य के दौरान दिनांक 30.06.2019 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता द्वारा रु1200000 /- मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।

उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 22.09.2025 को नियत की गई है।

अत: जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 22.09.2025 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।

मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।

यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.08.25 को जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

अभिषेक कुमार त्रिपाठी
आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0